(3) (1)

Form No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत..... **उपखण्ड अधिकारी** .... मुकाम....... **रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज.)**

अजयसिंह बनाम दी स्टेट ऑफ राजस्थान

किस्म मुकदमा 88-89-188 R.T.Act 1955 / 136 L.R.Act नं. 213 सन् 2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज —: निर्णय :—	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.10.18	पत्रावली पेश। वकील वादी उपस्थित है। बहस विद्वान अधिवक्ता वादी सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी का कथन है, कि वादी नं० 2 का नाम राजस्व रिकार्ड में सहवन से पितास्री देवी के स्थान पर मिनाक्षी देवी दर्ज कर दिया गया है। शुद्धि हेतु प्रति० नम्बर 1 द्वारा कोई आपत्ति नहीं की अपितु वादी के वाद को स्वीकार किया गया की वादी द्वारा इस बाबत् पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत कर दिये है। अतः राजस्व रिकार्ड में मिनाक्षी के स्थान पर पितास्री दर्ज किया जावे। साथ ही साथ विद्वान अधिवक्ता वादी का यह भी कथन है, कि वादीगण द्वारा ग्राम अवरालिया की भूमि खसरा नम्बर ७८/१ (रकबा)४, १८५/१ (रकबा ३।।।)३, ख० न० १८६/१ की ४।)३ कुल ८।।) भूमि एवं ७८/१ की)४, १८५/१ की ३।।।)३, १८६/१ की ४।)३ कुल ८।।) इस प्रकार १६) भूमि जरिये रजि० विक्रयपत्र क्रय की गई है। बाद बन्दोबस्त उक्त भूमि के हाल खसरा नम्बर	

उपखण्ड अधिकारी रामगंजमंडी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारी अहकाम जो इ हुक्म की ताम में जारी हुए
	२८१ रकबा 0.09 हे., २८२ रकबा 0.३५ हे., २८६ रकबा 0.60 हे, २८२/५३१ रकबा 0.३५ हे, २८6 रकबा 0.६३ हे., २८८ रकबा 0.६३ हेक्टर [illegible] किये गये हैं। वादीगण की भूमि इकजाई है, किन्तु सैटलमेन्ट द्वारा मौके की स्थिति से विपरीत जाकर वादीगण की भूमि खसरा नं० 286 की रकबा 0.63 हेक्टर को प्रतिवादी नम्बर 2 के नाम पर दर्ज कर दिया है और प्रतिवादी 2 की भूमि खसरा नं० 287 को वादीगण के नाम पर दर्ज कर दिया है। वादीगण व प्रति० नं० 2 मौका अनुसार पूर्ववत् अपने-2 स्थान पर ही बैठे हैं, और पूर्ववत् ही काबिज काश्त हैं। अतः वादीगण की भूमि खसरा नं० 286 को वादीगण के नाम पर तथा प्रति० 2 की भूमि 287 को प्रति० - 2 के नाम पर दर्ज किया जावे। इस क्रम में प्रतिवादी नम्बर 5.6.2018 की रिपोर्ट वादीगण के कथनों का समर्थन करती है। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जावे। वाद बहस पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया गया। वादी० के वादपत्र के कथन, वाञ्छित अनुतोष प्रतिवादी नम्बर 1 के जवाब मय रिपोर्ट	

Scanned by CamScanner

(3) (4)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यादि पर सम्यक विचार किया गया।	
	प्रकरण में मुख्यतः दो मांग है।	
	(1) वादग्रस्त भूमि पर मिनाक्षी के स्थान पर पिताक्षी दर्ज करवाया जाना।	
	(2) खसरा नम्बरान की दुरूस्ती करवाया जाना।	
	प्रकरण में वादग्रस्त भूमि की अर्थात साविक खसरा नम्बरान की जरिये रजिस्टर्ड बयनामें पिताक्षी देवी पत्नी अजयसिंह के नाम से क्रय की गई है। इसमुताबिक उक्त साविक नम्बरान के हाल खसरा नम्बर पर क्रेता अर्थात वादी नम्बर 2 का नाम पिताक्षी के स्थान पर मिनाक्षी दर्ज कर दिया है, जो वादपत्र के प्रस्तुत रजिस्टर्ड बयनामा, साविक व हाल नकल तथा फर्द मिलान से प्रमाणित है, तथा प्रतिवादी द्वारा उक्त त्रुटि को स्वीकार किया है तथा काबिल दुरूस्ती स्वीकार किया है, लिहाजा वादीगण द्वारा उक्त अनुतोष काबिल स्वीकार है।	
	वादीगण का कथन है, कि उनके द्वारा इकजाई भूमि क्रय की है, जबकि सेटलमेंट विभाग द्वारा वादीगण की भूमि को 286 के स्थान पर 288 के स्थान पर दर्ज किया गया है। वादीगण 288 पर	

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	काबिज नहीं होकर 286 पर ही काबिज है। वादीगण के इस तथ्य की पुष्टि रि० 4.6.18 को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट से जो तहसीलदार अर्थात प्रतिवादी नं० 1 द्वारा पेश की गई है, से होती है।	
	अतः सहमति/रिपोर्ट में अंकित किये गये तथ्यों की हद तक वादीगण के इस अनुतोष को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है, किन्तु खसरा नम्बर 286 का रिकार्ड में रकबा 0.70 हेक्टर है, तथा खसरा नम्बर 288 का रकबा 0.63 है० है। यदि यथा अपेक्षित अवस्था में वादीगण के कथनानुसार वादीगण को वांछित अनुतोष दिया जाता है, तो वादीगण को 0.07 हेक्टर का फायदा तथा प्रतिवादी नम्बर 2 को 0.07 हेक्टर की हानि होना संभाव्य है।	
	चूंकि प्रकरण में यह तथ्य प्रमाणित एवं स्वीकृत है, कि ख०नं० 286/0.63 पर वादीगण ख०नं० 288 पर प्रति० नं० 2 काबिज है।	
	अतः दावा वादीगण अंशतः स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।	
	प्रकरण के गुणावगुण पर सम्यक विचारोपरान्त वाद वादीगण अंशतः स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते हैं, कि ग्राम अतरालिया की भूमि ख०नं० 288 रकबा 0.63 हेक्टर को वादीगण के नाम से हटाया जाकर प्रति० नं० 2 वगै०	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	के नाम पर दर्ज किया जावे। खसरा नम्बर 286 रकबा 0.70 हेक्टर में से 0.63 हेक्टर भूमि को प्रति० नं० 2 वगै० के नाम से हटाकर जाकर वादीगण के नाम दर्ज की जावे। ख० नं० 286 रकबा 0.07 हेक्टर दक्षिण दिशा तरमीम किया जाकर प्रति० नं० 2 वगैरह के नाम पूर्ववत दर्ज रखा जावे। तरमीम के परिणामस्वरूप मौके पर किसी तरह का फेरफार या बदलाव नहीं होगा।	
	साथ ही बादगत भूमि पर से मिनाक्षी का नाम पिलाक्षी दर्ज हो। तदनुसार डिक्री मुरत्तिब हो।	
	निर्णय आज दिनांक 22/10/2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।	
	ह० (कृष्णगोपाल जोशन) उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	

(6)

Judl/Civil
Part V-10

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

उपखण्ड अधिकारी मुकाम रामगंजमण्डी

कृष्णगोपाल ओजन (R.A.S.)

अजयसिंह बनाम सरकार

88-89-188 R.T. Act 1955

213 सन् 2017

कृष्णगोपाल ओजन (R.A.S.)

श्री घनश्याम धाकड़ एड. वादीगण मिनजानिब मुद्दई व एक तरफा

मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

वाद वादीगण अंशतः स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम अतरालिया की भूमि ख० नं० 288 रकबा 0.63 हेक्टर को वादीगण के नाम से हटाई जाकर प्रति० नं० 2 वगै० के नाम पर दर्ज की जावे। खसरा नं० 286 रकबा 0.70 हेक्टर में से 0.63 हे० भूमि को प्रति० नं० 2 वगै० के नाम से हटाई जाकर वादीगण के नाम पर दर्ज की जावे। ख० नं० 286 रकबा 0.07 हे० दाखिल रिया तालीम किया जाकर प्रति० नं० 2 वगै० के नाम पूर्ववत दर्ज रखी जावे। तालीम के परिणामस्वरूप मौके पर किसी तरह का फेरफार या बदलाव नहीं होगा। बादगत भूमि पर से मिनाक्षी का नाम पिवासी दर्ज हो।

खर्चा ... अदा करे।

आज तारीख 22 माह 10 2018

दस्तखत [signature]
ओहदा उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाह	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा	—		स्टाम्प वकालतनामा	—	
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
[illegible]			महनताना वकील पर		
[illegible]			खर्चा गवाहान		
[illegible]			फीस कमिश्नर		
[illegible]			बाबत इजरा-इ-इश्तहारनामा		
[illegible]			मुतफर्रिका		
[illegible]					
मीजान....	—	—	मीजान ..	—	—

... कुल खर्चा हर दो फरीकैन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना

ग. मु. ... 1,00,000 ...

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

Scanned by CamScanner